

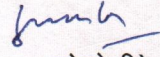
क्रमांक:- एफ.2 (क) (J-123) अलेसे- I/1153

दिनांक:- 20/08/2020

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या एफ. 2 (क) (जे-123) 466 दिनांक 25.09.2019 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 151 एवं कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री जगदीश नारायण माथुर, (सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2016) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय उपशासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की Pay Minus Pension के आधार पर पुनर्नियुक्त अवधि दिनांक 01.06.2019 से 31.05.2020 तक बढ़ाई गई थी, को दिनांक 01.06.2020 से 31.05.2021 तक एतद् द्वारा बढ़ाई जाती है।

यह आदेश वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 212000219 दिनांक 26.06.2020 एवं कार्मिक विभाग की आई.डी. संख्या 637/कार्मिक/क-2/20 दिनांक 21.07.2020 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (J-123) अलेसे- I/1153

दिनांक:- 20/08/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 2 (16) वित्त/राजस्व/2008 पार्ट दिनांक 18.08.2020 के क्रम में प्रेषित है।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. श्री जगदीश नारायण माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक(एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
6. गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)